# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/196)

प्रकरण संख्याः—114/2025
तारीख दायरः—11/11/2025
निर्णय दिनांकः—01/12/2025

**उनवान**

1. किशनलाल पिता मांगु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. डाली पिता मांगु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. प्रकाश पिता मांगु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. रोशनी पिता मांगु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. सायरी बाई पत्नी मांगु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

**प्रार्थीगण।**

**बनाम**

1. सम्पत लाल पिता मुला जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. नेनु पिता दोला जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956**

**:: निर्णय ::**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोपरी पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 99 खसरा संख्या 80, 85 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से प्रार्थीगण के खाते में दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

**—:आदेश:—**

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सोपरी पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 99 खसरा संख्या 80, 85 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

हस्ता० 01/12/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)